5-6-18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट भण्डारा में पेश हुई। प्रकरण से संबंधित वाद पत्र का निस्तारण हो चुका है प्रा० पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा०पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी